

संख्या-326 /2026/आर0एफ0-110 /नौ-9-2026/002-ई-2015005

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत, सहावर,
जनपद-कासगंज।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से व्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-107/2025/आरएफ-559/नौ-9-2025/001-ई-1911236, दिनांक-27.03.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (अनुदान संख्या-37) के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य हेतु नगर पंचायत, सहावर, जनपद-कासगंज को कुल लागत धनराशि ₹0 100.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 40.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्य की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-कासगंज द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, जनपद-कासगंज की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगर पंचायत, सहावर, जनपद-कासगंज को द्वितीय किश्त की धनराशि ₹0 60.00 लाख (रूपये साठ लाख मात्र) पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (अनुदान संख्या-37) से अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्य हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2026 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) निकाय पश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेगे।

(5) उपर्युक्त शासनादेश संख्या-107/2025/आरएफ-559/नौ-9-2025/001-ई-1911236 दिनांक-27.03.2025 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ पदान की जा रही है कि जिलाधिकारी पथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जाच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेगे, तदोपरान्त द्वितीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एफ0मी0/19 दिनांक-19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कांड़े हो) की पतिपूर्ति तही की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 60.00 लाख (रुपये साठ लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021930500** पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना **मानक मद 30** निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत पतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 03-02-2026
10:41:55 (संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 326 /2026/आर0एफ0- 110 /नौ-9-2026/002-ई-2015005, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-कासगंज।
6. कोषाधिकारी, जनपद-कासगंज।
7. निजी सचिव, मा० मन्त्री नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 उ०प्र० शासन।
9. स्टेट पी०एम०यू० नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
10. गाड़े फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-03/02/2026


प्रेषण संख्या:- 326
आवंटन आदेश संख्या:- 001-326-2026-RF-110-9-9-2026-002-E-2015005
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	कांसगंज-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 89963000	6000000 89963000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6000000 89963000	6000000 89963000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया साठ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ निन्यानवे लाख तिरेसठ हजार


(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव